न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हुक्मीचन्द रोनालिया, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 43 / 2023 प्रार्थनापत्र

01. मुंड आंजना ग्रेनाईट तीखा पार्टनर सुप्यार चौधरी पत्नी श्री सुनील कुमार चौधरी जाति जाट आयु वयस्क निवासी– बरड़ा की ढाणी भदूण, अजमेर (राज0)

——— प्रार्थी

बनाम

01.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

———— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

मुकेश कुमार जैन ———अधिवक्ता प्रार्थी

2. पेरोकार सरकार ——उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक– 27 / 09 / 2023

प्रार्थीया के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद रूपपुरा पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी नम्बर 982 रकबा 1.0370 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो सरकारी रास्ता से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 1536 / 1462 से होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 982 मे आता जाता जाता है। जिसमे से रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रा[illegible]स पर सरहद रूपपुरा पटवार हल्का ज्ञानगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 982 रकबा 1.0370 हैटयर [illegible] आराजी नम्बर 15[illegible]62 रकबा 15.8372 हैक्टयर विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है , [illegible] पर वर्तमान मे उक्त [illegible]जियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नमबर 1536 / 1462

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.12 11:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा